जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना कोतवाली शहर                    दिनांक – 17.09.2024

**थाना कोतवाली शहर पुलिस ने मु0अ0सं0 0739/2024 धारा 308(5)/317(3) बीएनएस में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार।**

**संक्षिप्त विवरण –**

अवगत कराना है कि दिनांक 01.08.2024 को विजय कुमार जोकि बैंक में क्लर्क का कार्य करते है, सुबह समय 10.00 बजे स्कूटी द्वारा बिजनौर से किरतपुर जा रहे थे तो स्वाहेडी ओवरब्रिज के पास कार सवार 05-06 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा विजय कुमार को डिटेन कर धमकी दी गई कि यदि विजय कुमार ने उन्हे पैसे नही दिये तो उसके कई महिलाओं से परिचय होने की बात को उसकी पत्नी व परिजनो को बता देंगे तथा पैसे न देने पर उसे जान से भी मार देंगे। इस बात पर विजय कुमार ने गूगल पे (यूपीआई) के माध्यम से उक्त व्यक्तियों द्वारा दिये गए क्यू आर कोड पर 45,000/- रूपये ट्रांसफर कर दिये। वादी विजय कुमार की तहरीर के आधार पर तत्काल थाना कोतवाली शहर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया।

विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान उक्त अभियोग में घटना में प्रयुक्त मारुति इको गाडी रजि0सं0 यू0पी0 20 ए0डब्ल्यू 1185 के चालक 1.लक्की उर्फ स्नेह प्रताप पुत्र स्व0 हेतराम 2.मोहित पुत्र संजीव 3.हरीश पुत्र जसराम 4.सोनू उर्फ जेके उर्फ सोहन पुत्र जोगराज निवासीगण ग्राम सालमाबाद थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर 5.आकाश पुत्र हरी सिंह निवासी चमर पेडा थाना कोतवाली नगर जनपद बिजनौर 6.दीपू उर्फ देवा पुत्र गजेन्द्र सिंह निवासी ग्राम बेगमपुर रूपचन्द उर्फ सिसौना थाना किरतपुर जनपद बिजनौर 7.सुमित डीलर पुत्र स्व0 बालमुकन्द निवासी नई बस्ती रविदास नगर बुखारा रोड थाना कोतवाली नगर जनपद बिजनौर 8.अनुज देवा पुत्र सतीश निवासी ग्राम नागल सोती थाना नागल जनपद बिजनौर का नाम प्रकाश में आया।

**कार्यवाही –**

आज दिनांक 17.09.2024 को थाना कोतवाली शहर पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर उक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त अनुज देवा पुत्र सतीश निवासी ग्राम नांगल सोती थाना नांगल जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। विधिक कार्यवाही प्रचलित है। उक्त अभियोग में अभियुक्त सुमित डीलर की गिरफ्तारी शेष है, जिसकी शीघ्र गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे है। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

**गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता –**

अनुज देवा पुत्र सतीश निवासी ग्राम नांगल सोती थाना नांगल जनपद बिजनौर

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –**

1.उ0नि0 श्री गोपाल सिंह थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर

2.मु0आरक्षी 402 धर्मवीर सिंह थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर

3.आरक्षी 54 संदीप थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर

**जनपद बिजनौर**

**प्रेस नोट – थाना धामपुर** **दिनांक – 17.09.2024**

## थाना धामपुर पुलिस ने अभियुक्त को चोरी किये गए होर्डिंग (स्टैन्ड) सहित किया गिरफ्तार।

**संक्षिप्त विवरण –**

दिनांक 16.09.2024 को वादी शहजाद अंसारी पुत्र तौसीफ अहमद निवासी मौ0 पहाडी दरवाजा कस्बा व थाना धामपुर जनपद बिजनौर ने थाना धामपुर पर तहरीर दी कि अभियुक्त शुभम पुत्र विजयपाल सिंह निवासी ग्राम जमालपुर आलम थाना धामपुर जनपद बिजनौर ने अपने साथियों के साथ मिलकर वादी द्वारा ग्राम ढक्का के पास लगाये गए होर्डिंग (स्टैन्ड) को चोरी कर लिया गया। बाद में जिसे वादी द्वारा चोरी किये गए होर्डिंग (स्टैन्ड) सहित पकड लिया गया।

तहरीर के आधार पर थाना धामपुर पर मु0अ0सं0 444/24 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस बनाम शुभम उपरोक्त व दो व्यक्ति अज्ञात पंजीकृत किया गया।

**कार्यवाही –**

थाना धामपुर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग से संबंधित अभियुक्त शुभम पुत्र विजयपाल सिंह निवासी ग्राम जमालपुर आलम थाना धामपुर जनपद बिजनौर को चोरी किये गए होर्डिंग स्टैन्ड सहित गिरफ्तार किया गया। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

**गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –**

अभियुक्त शुभम पुत्र विजयपाल सिंह निवासी ग्राम जमालपुर आलम थाना धामपुर जनपद बिजनौर।

**बरामदगी विवरण**

चोरी किया गया होर्डिंग स्टैन्ड

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –**

1. उ0नि0 श्री ललित मोहन शर्मा थाना धामपुर जनपद बिजनौर।
2. हे0का0 473 शिशुपाल सिंह थाना धामपुर जनपद बिजनौर।

**जनपद बिजनौर**

**प्रेस नोट – थाना चांदपुर** **दिनांक – 17.09.2024**

**थाना चांदपुर पुलिस ने मु0अ0सं0 478/2024 धारा 85/352/351(3)/109/77 बीएनएस में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार।**

**संक्षिप्त विवरण –**

दिनांक 17.09.2024 को वादी श्री वकील अहमद पुत्र अब्दुल रशीद निवासी मौहल्ला हकीमान कस्बा व थाना शेरकोट जनपद बिजनौर ने अभियुक्तगण 1.वासील पुत्र शकील निवासी मौहल्ला जमईपुरा कस्बा व थाना चांदपुर बिजनौर द्वारा वादी की पुत्री सोनिया का जान से मारने की नियत से गला दबाना व पंचायत के दौरान 2-सुल्तान पुत्र नामालूम 3-अनीश उर्फ तेजा पुत्र नामालूम 4-दानिश पुत्र हाजी अकील निवासीगण मौहल्ला जमाईपुरा कस्बा व थाना चांदपुर बिजनौर द्वारा गाली गलौज करना व जान से मारने की धमकी देना व वादी के दामाद मौहम्मद आदिल की मृत्यु के पश्चात वादी की पुत्री के ससुर 5-शकील अहमद पुत्र नामालूम 6-सास (नाम नामालूम) पत्नी शकील अहमद 7-नन्द नाम नामालूम पुत्री शकील अहमद निवासीगण मौहल्ला जमाईपुरा कस्बा व थाना चाँदपुर जनपद बिजनौर द्वारा उत्पीड़न करना व गाली गलौच करते हुए जान से मारने की धमकी देना व 8-जेठ शौकीन पुत्र शकील अहमद निवासी मौहल्ला जमाईपुरा कस्बा व थाना चाँदपुर बिजनौर द्वारा वादी की पुत्री पर गलत निगाह रखना व अभियुक्त सुल्तान व 9-वकील अहमद पुत्र बाबू निवासी मौहल्ला जमाईपुरा कस्बा व थाना चाँदपुर जनपद बिजनौर को अपने घर पर बुलाकर वादी की पुत्री सोनिया को जान से मारने की नियत से गला दबाने के सम्बन्ध में तहरीर दी थी। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना चांदपुर पर मु0अ0सं0 478/2024 धारा 85/352/351(3)/109/77 बीएनएस पंजीकृत किया गया।

**कार्यवाही –**

आज दिनांक 17.09.2024 को थाना चांदपुर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त सुल्तान पुत्र इकबाल कुरैशी निवासी मौ0 शाहचन्दन कस्बा व थाना चांदपुर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। शेष अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे है। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

**गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –**

सुल्तान पुत्र इकबाल कुरैशी निवासी मौ0 शाहचन्दन कस्बा व थाना चांदपुर जनपद बिजनौर

**अभियुक्त सुल्तान का आपराधिक इतिहास –**

1. मु0अ0सं0 113/16 धारा 237 न0पा0 अधि0 11 पशु क्रुरता अधि0 व 51 वन्य जन्तु संरक्षण अधि0 थाना चांदपुर जनपद बिजनौर
2. मु0अ0सं0 528/17 धारा 429,269,270 भादवि0 व 11 पशु क्रुरता अधि0 थाना चांदपुर जनपद बिजनौर
3. मु0अ0सं0 554/17 धारा 3/5/8 गौवध अधि0 थाना चांदपुर जनपद बिजनौर
4. मु0अ0सं0 804/18 धारा 420,429,269,270 भादवि0 व 237,238 न0पा0 अधि0 थाना चांदपुर जनपद बिजनौर
5. मु0अ0सं0 289/19 धारा 269,270 भादवि0 व 237,238 न0पा0 अधि0 थाना चांदपुर जनपद बिजनौर
6. मु0अ0सं0 307/19 धारा 3/5/8 गौवध अधि0 थाना चांदपुर जनपद बिजनौर
7. मु0अ0सं0 366/19 धारा 452,323,504,506 भादवि0 थाना चांदपुर जनपद बिजनौर
8. मु0अं0सं0 114/20 धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट थाना चांदपुर जनपद बिजनौर
9. मु0अ0सं0 228/20 धारा 21/22 एनडीपीएस एक्ट थाना चांदपुर जनपद बिजनौर
10. मु0अ0सं0 57/24 धारा 420,429,269,270 भादवि0 व 299 न0पा0 अधि0 3/11 पशु क्रुरता अधि0 थाना चांदपुर जनपद बिजनौर
11. मु0अ0सं0 478/2024 धारा 85/352/ 351(3)/109/77 बीएनएस थाना चांदपुर जनपद बिजनौर

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –**

1. उ0नि0 अजीत सिंह थाना चांदपुर जनपद बिजनौर
2. कां0 1154 चरणदास थाना चांदपुर जनपद बिजनौर
3. कां0 671 जैकी थाना चांदपुर जनपद बिजनौर

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना बढापुर दिनांक – 17.09.2024

**थाना बढापुर पुलिस ने मु0अ0सं0 184/24 धारा 108 / 304(1) / 317(2) बीएनएस में वांछित अभियुक्त को घटना में प्रयुक्त 02 मोबाइल फोन सहित किया गिरफ्तार।**

**संक्षिप्त विवरण –**

दिनांक 14.09.2024 को वादी ने थाना बढापुर पर तहरीर दी कि दिनांक 11.09.2024 को वादी की चचेरी बहन अपनी सहेली के साथ कस्बा बढापुर से कस्बा नगीना गई थी, जिसकी कुछ समय बाद नगीना के कोतवाली फाटक पर ट्रेन से कटकर मृत्यु हो गई थी। घटना के बारे मे वादी की चचेरी बहन के साथ गई उसकी सहेली से जानकारी की तो पता चला कि वादी की चचेरी बहन नगीना पार्क मे आरिफ पुत्र फरमान निवासी ग्राम रामजीवाला थाना बढ़ापुर जनपद बिजनौर से मिली थी जिसने वादी की चचेरी बहन का फोन अपने पास रख लिया तथा फोन वापस देने के नाम पर ब्लैकमेल कर रहा था, जिससे प्रताडित होकर वादिनी की चचेरी बहन ने आत्महत्या कर ली। वादी की तहरीर के आधार पर थाना बढापुर पर मु0अ0सं0 184/2024 धारा 108 बीएनएस बनाम आरिफ उपरोक्त पंजीकृत किया गया।

**कार्यवाही –**

आज दिनांक 17.09.2024 को थाना बढापुर पुलिस ने उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त आरिफ पुत्र फरमान निवासी ग्राम रामजीवाला थाना बढ़ापुर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से घटना में प्रयुक्त 02 मोबाइल फोन (एक मोबाइल फोन मृतका का क्षतिग्रस्त अवस्था में) बरामद किया गया। विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान मृतका से मोबाइल फोन छीनने एवं मोबाइल फोन की बरामदगी के आधार पर अभियोग में धारा 304(1) / 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

**गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –**

आरिफ पुत्र फरमान अली निवासी ग्राम रामजीवाला थाना बढापुर जनपद बिजनौर

**बरामदगी –**

02 मोबाईल फोन क्रमशः ओप्पो ए-78 रंग नीला एवं मृतका के मोबाईल फोन के टूटे हुये टुकडे

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –**

1.व0उ0नि0 श्री संजय कुमार थाना बढापुर जनपद बिजनौर

2.कां0 860 रितेश कुमार थाना बढापुर जनपद बिजनौर

**जनपद बिजनौर**

**प्रेस नोट – थाना चांदपुर** **दिनांक – 17.09.2024**

**थाना चांदपुर पुलिस ने मु0अ0सं0 477/24 धारा 115(2)/351(3)/110/61(2) बीएनएस में वांछित अभियुक्त को घटना में प्रयुक्त लोहे की रॉड सहित किया गिरफ्तार।**

**संक्षिप्त विवरण –**

दिनांक 16.09.2024 को वादिनी श्रीमती जानकी देवी पत्नी वेद प्रकाश निवासी मौहल्ला चिम्मन थाना चाँदपुर जनपद बिजनौर ने थाना चांदपुर पर तहरीर दी कि दिनांक 14.09.2024 की रात्रि में करीब 10 बजे वादिनी के छोटे भाई / अभियुक्त गोलू पुत्र बलराज ने वादिनी के बडे भाई मोनू व चाचा संजय के ऊपर जान से मारने की नियत से धारधार हथियार व सब्बल से वार किया, जिससे मोनू को गंभीर चोटे आयी एवं वादिनी के चाचा को भी काफी गुम चोटें आयी तथा जान से मारने की धमकी दी गयी। इस घटना के षडयंत्र में अभियुक्ता प्रभा पत्नी सुभाष भी शामिल है। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना चांदपुर पर मु0अ0सं0 477/2024 धारा 115(2)/351(3)/110/61(2) बीएनएस बनाम गोलू आदि उपरोक्त कुल 02 नफर पंजीकृत किया गया।

**कार्यवाही –**

आज दिनांक 17.09.2024 को थाना चांदपुर पुलिस ने उपरोक्त अभियोग से सम्बंधित अभियुक्त गोलू उर्फ शनि पुत्र बलराज निवासी मौ0 सराय रफी निकट अम्बेडकर धर्मशाला कस्बा व थाना चाँदपुर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से घटना में प्रयुक्त लोहे की रॉड बरामद की गयी। अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

**गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –**

गोलू उर्फ शनि पुत्र बलराज निवासी मौ0 सराय रफी निकट अम्बेडकर धर्मशाला कस्बा व थाना चाँदपुर जनपद बिजनौर

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –**

1. उ0नि0 धर्मेन्द्र सिंह थाना चांदपुर जनपद बिजनौर
2. हे0कां0 371 धर्मेन्द्र सिंह थाना चांदपुर जनपद बिजनौर

## जनपद बिजनौर

**प्रेस नोट – थाना नहटौर** **दिनांक – 17.09.2024**

**थाना नहटौर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 306/2024 धारा 109(1)/74 बीएनएस से संबंधित अभियुक्त को पुलिस कस्टडी रिमाण्ड (पीसीआर) पर लेकर घटना में प्रयुक्त अवैध तमन्चा बरामद किया गया।**

**संक्षिप्त विवरण –**

दिनांक 27.08.2024 को वादी ने थाना नहटौर द्वारा तहरीर दी कि अभियुक्त धर्मपाल सिंह पुत्र किशोरी निवासी ग्राम नौरंगपुर थाना नहटौर जनपद बिजनौर द्वारा वादी की बहन के साथ अभद्रता की गई तथा विरोध करने पर तमन्चे से गोली मार दी जिससे वादी की बहन गंभीर रूप से घायल हो गई। तहरीर के आधार पर थाना नहटौर पर मु0अ0सं0 306/24 धारा 109(1)/74 बीएनएस बनाम धर्मपाल उपरोक्त पंजीकृत किया गया।

दिनांक 02.09.2024 को अभियोग मे नामित अभियुक्त धर्मपाल उपरोक्त द्वारा माननीय न्यायालय में आत्मसमर्पण किया गया।

आज दिनांक 17.09.2024 को थाना नहटौर पुलिस द्वारा जेल में निरूद्ध अभियुक्त धर्मपाल उपरोक्त को माननीय न्यायालय से आदेश प्राप्त कर पुलिस कस्टडी रिमाण्ड पर लिया गया तथा अभियुक्त की निशांदेही पर घटना में प्रयुक्त एक अवैध तमन्चा 315 बोर मय 01 खोखा कारतूस 315 बोर बरामद किया गया। बरामदगी के आधार पर उपरोक्त अभियोग में धारा 3/25 आयुध अधिनियम की वृद्धि की गई। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

**अभियुक्त का नाम व पता –**

धर्मपाल सिंह पुत्र किशोरी निवासी ग्राम नौरंगपुर थाना नहटौर जनपद बिजनौर।

**बरामदगी विवरण-**

घटना में प्रयुक्त एक अवैध तमन्चा 315 बोर मय एक खोखा कारतूस 315 बोर।

**पुलिस टीम –**

1.उ0नि0 श्री जितेन्द्र सिंह थाना नहटौर जनपद बिजनौर।

2.कां0 2159 आकाश यादव थाना नहटौर जनपद बिजनौर।

## जनपद बिजनौर

**प्रेस नोट – थाना शेरकोट** **दिनांक – 17.09.2024**

**थाना शेरकोट पुलिस ने मु0अ0सं0 41/2024 धारा 420/406/467/468 भादवि में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।**

**संक्षिप्त विवरण –**

दिनांक 24.02.2024 को वादी श्री बाबूराम पुत्र अमर सिंह निवासी मौहल्ला नौधना कस्बा व थाना शेरकोट जनपद बिजनौर ने थाना शेरकोट पर दी कि अभियुक्तगण उम्मेद अली पुत्र शौकत अली आदि कुल 06 नफर द्वारा वादी के पुत्र व भतीजों को क्रोएशिया भेजने के नाम पर 12,19,500 /- रुपये लेकर धोखाधडी करते हुये फर्जी व कूटरचित वीजा व टिकट दे दिये । प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना शेरकोट पर मु0अ0सं0 41/2024 धारा 420/406/467/468 भादवि बनाम उम्मेद अली आदि पंजीकृत किया गया ।

**कार्यवाही –**

आज दिनांक 17.09.2024 को थाना शेरकोट पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त उम्मेद अली पुत्र शौकत अली निवासी वार्ड नं0 5 नियर वाजिद वैली थाना सिक्कर जनपद सिक्कर राजस्थान को गिरफ्तार किया गया । शेष अभियुक्तगण की गिरफ्तारी के प्रयास जारी है । विधिक कार्यवाही प्रचलित है ।

**गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण –**

उम्मेद अली पुत्र शौकत अली निवासी वार्ड नं0 5 नियर वाजिद वैली थाना सिक्कर जनपद सिक्कर राजस्थान

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम**

1.उ0नि0 श्री विपिन कुमार थाना शेरकोट जनपद बिजनौर

2.का0 993 आकाश धामा थाना शेरकोट जनपद बिजनौर

3.का0 986 कृष्ण राणा थाना शेरकोट जनपद बिजनौर

**प्रेस नोट – जनपद बिजनौर** **दिनांक – 17.09.2024**

## जनपदीय पुलिस द्वारा 11 वारंटी अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार ।

जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारंटी अभियुक्तो की गिरफ्तारी हेतु चल रहे अभियान के क्रम में जनपदीय पुलिस द्वारा 10 वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। जिनका विवरण निम्नवत हैः-

| क्र0सं0 | नाम थाना | गिरफ्तार वारंटी अभियुक्तगण का नाम व पता |
|---|---|---|
| 1 | बढापुर | बलराज पुत्र गोविन्द निवासी ग्राम भोजावाली थाना बढ़ापुर |
| 2 | बढापुर | तारा सिंह पुत्र बलराज निवासी ग्राम भोजावाली थाना बढ़ापुर |
| 3 | बढापुर | आकाश पुत्र बलराज निवासी ग्राम भोजावाली थाना बढ़ापुर |
| 4 | चांदपुर | नदीम पुत्र रईश निवासी सराय रफी कस्बा व थाना चांदपुर |
| 5 | चांदपुर | धैर्य पुत्र जागेश सिंह निवासी मौ0 शान्ति कुंज थाना चांदपुर |
| 6 | मण्डावर | रोबिन विलयम पुत्र प्रेम कुमार नि0 मौ0 मंगल बाजार कस्बा व थाना मण्डावर |
| 7 | मण्डावली | सौकत पुत्र लियाकत निवासी राहतपुर खुर्द थाना मण्डावली |
| 8 | नूरपुर | अजयपाल पुत्र मूलचन्द निवासी ग्राम तेलीपुरा थाना चांदपुर |
| 9 | नूरपुर | नितिन पुत्र नरेश नि0 मौ0 रविदास नगर कस्बा व थाना नूरपुर |
| 10 | को0 देहात | सुनील पुत्र बल्ले निवासी ग्राम बरूकी थाना कोतवाली देहात |
| 11 | को0 देहात | ओमपाल पुत्र बल्ले निवासी ग्राम बरूकी थाना कोतवाली देहात |

थाना बढापुर

थाना चांदपुर

थाना मण्डावर

थाना मण्डावली

थाना नूरपुर

कोतवाली देहात

## जनपद बिजनौर

**प्रेस नोट – थाना नूरपुर** **दिनांक – 17.09.2024**

### थाना नूरपुर पुलिस ने 03 अभियुक्तों को चोरी की गयी 04 मोटरसाइकिल सहित किया गिरफ्तार।

**कार्यवाही का विवरण –**

दिनांक 16.09.2024 को थाना नूरपुर पुलिस ने अभियुक्तगण 1.लवेन्द्र उर्फ लक्की पुत्र नरेश कुमार निवासी ग्राम धूंधली थाना स्योहारा जनपद बिजनौर 2.नरेन्द्र उर्फ सोनू पुत्र बरन सिंह निवासी ग्राम फडियापुर उर्फ ईशापुर थाना हल्दौर जनपद बिजनौर 3.नरेन्द्र कुमार पुत्र आनंद कुमार निवासी ग्राम गल्लाखेडी थाना स्योहारा जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों के कब्जे से चोरी की गयी 04 मोटरसाइकिल बरामद की गयी।

मोटर साईकिल जिसकी नंबर प्लेट पर UP20AE6649 लिखा है। उक्त मोटरसाईकिल को चेक किया गया तो मोटर साईकिल का रजि0 नंबर UP20BS0615 निकल कर आया तथा पंजीकृत स्वामी का नाम विपिन पुत्र आदेश निवासी ग्राम मुंढाल जनपद बिजनौर आया। उक्त मोटरसाईकिल दिनांक 22.08.2023 को कस्बा नूरपुर से चोरी हो गयी थी, जिसके संबंध मे थाना नूरपुर पर मु0अ0सं0 327/23 धारा 379 भादवि बनाम अज्ञात पंजीकृत है। मोटरसाईकिल हीरो स्पलेंडर प्लस जिसकी नंबर प्लेट पर नंबर UP20BE9554 लिखा है को चेक किया गया तो सही नंबर UP19L2747 तथा वाहन स्वामी का नाम विक्की पुत्र कल्लू निवासी झिंझाना शामली निकलकर आया। वाहन स्वामी से बात की गयी तो वाहन स्वामी ने बताया कि उसकी मोटर साईकिल दिनांक 23.07.2022 को कावंड मेला हरिद्वार (उत्तराखंड) से चोरी हो गयी थी। मोटरसाईकिल पेशन प्रो0 रंग जिसकी नंबर प्लेट पर UP12BF8414 लिखा है को चेक किया गया तो मोटर साईकिल का रजि0 नंबर UP20BV9979 तथा वाहन स्वामी का नाम मौ0 दानिश पुत्र निसार अहमद निवासी मौ0 रामनगर शहीदनगर कस्बा व थाना नूरपुर बिजनौर आया। उक्त मोटर साईकिल दिनांक 12.09.2024 को बिजनौर रोड पर ग्राम धमरौली CNG पंप के बराबर स्थित बैंकठ हॉल के पास चोरी गयी थी, उक्त मोटरसाइकिल के सम्बंध में थाना नूरपुर पर मु0अ0सं0 361/24 धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत है। चौथी मोटर साईकिल जिसकी नंबर प्लेट पर नंबर UP14WE4221 लिखा है को चेक किया गया तो मोटर साईकिल का रजि0 नं0 UP20BJ2153 निकलकर आया। उक्त मोटरसाईकिल दिनांक 02.08.2024 को थाना चांदपुर क्षेत्र से चोरी हो गयी थी, जिसके संबंध मे वादी सूरज कुमार उपरोक्त के द्वारा थाना चांदपुर पर मु0अ0सं0 475/24 धारा 303(2) बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत कराया गया था। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

**पूछताछ का विवरण –**

अभियुक्तगण ने पूछताछ में बताया कि हम तीनो मिलकर अलग-अलग स्थानों से मोटर साईकिले चोरी करते है तथा इन मोटरसाईकिलो को बेचकर जो रूपये मिलते है, उसे आपस मे बांटकर अपना खर्च चलाते है। दिनांक 12.09.2024 को हमने ग्राम धमरौली मे स्थित सी0एन0जी0 पम्प के बराबर मे स्थित बैंकट हॉल के पास से एक मो0सा0 पैशन प्रो चोरी की थी तथा करीब 01 वर्ष पूर्व कस्बा नूरपुर मे मुरादाबाद रोड पर पिज्जा बे के सामने से एक स्पलैण्डर चोरी की थी तथा एक मोटरसाईकिल हीरो स्पलेण्डर प्लस वर्ष 2022 मे कांवड मेला हरिद्वार उत्तराखण्ड से चोरी की थी और एक मोटरसाइकिल हीरो स्पलेण्डर प्लस दिनांक 02.08.2024 को थाना चांदपुर से ग्राम अकबरपुर सीमली से चोरी की थी।

**गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –**

1.लवेन्द्र उर्फ लक्की पुत्र नरेश कुमार निवासी ग्राम धूंदली थाना स्योहारा जनपद बिजनौर

2.नरेन्द्र उर्फ सोनू पुत्र बरन सिंह निवासी ग्राम फडियापुर उर्फ ईशापुर थाना हल्दौर जनपद बिजनौर

3.नरेन्द्र कुमार पुत्र आनंद कुमार निवासी ग्राम गल्लाखेडी थाना स्योहारा जनपद बिजनौर

**बरामदगी –**

1.हीरो स्प्लेन्डर रजि0 नं0 UP20 BS 0615

2.हीरो स्पलेंडर प्लस रजि0 नं0 UP19 L 2747

3.हीरो पैशन प्रो रजि0 नं0 UP20 BV 9979

4.हीरो स्प्लेन्डर प्लस रजि0 नं0 UP20 BJ 2153

**गिरफ्तारी / बरामदगी करने वाली पुलिस टीम –**

1.उ0नि0 श्री प्रमोद कुमार सिंह थाना नूरपुर जनपद बिजनौर

2.उ0नि0 श्री रवि कुमार थाना नूरपुर जनपद बिजनौर

3.हे0कां0 536 सुमित कुमार थाना नूरपुर जनपद बिजनौर

4.हे0कां0 415 भूपेन्द्र सिंह थाना नूरपुर जनपद बिजनौर

5.कां0 1886 अमित कुमार थाना नूरपुर जनपद बिजनौर

6.कां0 1052 अर्जुन सिंह थाना नूरपुर जनपद बिजनौर

**जनपद बिजनौर**

**प्रेस नोट – थाना बढापुर** **दिनांक – 17.09.2024**

## थाना बढापुर पुलिस ने हिस्ट्रीशीटर अपराधी को चोरी की बाइक सहित किया गिरफ्तार।

**संक्षिप्त विवरण –**

दिनांक 15.09.2024 को वादी नईम अहमद पुत्र मौ0 शरीफ निवासी ग्राम कुन्जैटा थाना बढापुर जनपद बिजनौर ने थाना बढापुर तहरीर दी कि अज्ञात चोर द्वारा वादी के गन्ने के कोल्हू पर बने कमरे का ताला तोडकर मोटरसाइकिल होन्डा शाइन नं0 UP20AA-3178 को चोरी कर लिया गया। तहरीर के आधार पर थाना बढापुर पर मु0अ0सं0 186/24 धारा 331(4)/305(ए) बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया।

अभियोग की विवेचनात्मक कार्यवाही के आधार पर अभियुक्तगण 1. अजीम उर्फ बहरा पुत्र शफीक निवासी ग्राम गंजपुरा थाना बढापुर जनपद बिजनौर व 2.फुरकान पुत्र अब्दुल गफ्फार निवासी मौहल्ला बाजार कस्बा व थाना बढापुर जनपद बिजनौर के नाम प्रकाश मे आये।

**कार्यवाही –**

आज दिनांक 17.09.2024 को थाना बढापुर पुलिस ने उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त अजीम उर्फ बहरा पुत्र शफीक निवासी ग्राम गंजपुरा थाना बढापुर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से उपरोक्त घटना से संबंधित चोरी की गई मोटरसाइकिल होन्डा शाइन नं0 UP20AA-3178 बरामद की गई। बरामदगी के आधार पर उपरोक्त अभियोग मे धारा 317(2) बीएनएस की वृद्दि की गई। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

**नोट-** अभियुक्त अजीम उर्फ बहरा पुत्र शफीक उपरोक्त थाना बढापुर का हिस्ट्रीशीटर अपराधी है जिसकी हिस्ट्रीशीट सं0 68(ए) है।

**गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –**

अजीम उर्फ बहरा पुत्र शफीक निवासी ग्राम गंजपुरा थाना बढापुर जनपद बिजनौर।

**बरामदगी विवरण**

चोरी की एक मोटरसाइकिल होन्डा शाइन नं0 UP20AA-3178

**आपराधिक इतिहास अभियुक्त अजीम उपरोक्त-**

1.मु0अ0सं0-39/22 धारा 3(1) गैंगस्टर अधि0 थाना बढापुर जनपद बिजनौर।

2.मु0अ0सं0-142/21 धारा 3/5/8 सीएस एक्ट थाना बढापुर जनपद बिजनौर।

3.मु0अ0सं0-160/20 धारा 3(1) गैंगस्टर अधि0 थाना बढापुर जनपद बिजनौर।

4.मु0अ0सं0-126/20 धारा 380/411 भादवि थाना बढापुर जनपद बिजनौर।

5.मु0अ0सं0-09/20 धारा 379 भादवि थाना बढापुर जनपद बिजनौर।

6.मु0अ0सं0-22/24 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना बढापुर जनपद बिजनौर।

7.मु0अ0सं0-103/24 धारा 223/224 भादवि थाना को0शहर जनपद बिजनौर।

8.मु0अ0सं0-186/24 धारा 331(4)/305(ए)/317(2) बीएनएस थाना बढापुर जनपद बिजनौर।

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –**

1. उ0नि0 श्री अजय कुमार थाना-बढापुर जनपद-बिजनौर
2. प्रशिक्षु उ0नि0 शिवम तायल थाना-बढापुर जनपद-बिजनौर
3. हे0का0 434 आशीष कुमार थाना-बढापुर जनपद-बिजनौर
4. का0 241 रजत कुमार पांचाल थाना-बढापुर जनपद-बिजनौर
5. का0 63 सागर सैनी थाना-बढापुर जनपद-बिजनौर

**प्रेस नोटः- जनपद बिजनौर** **दिनांकः- 17.09.2024**

**“ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के क्रम में थाना शेरकोट पुलिस एवं अभियोजन विभाग द्वारा की गई प्रभावी पैरवी से माननीय न्यायालय द्वारा नाबालिग के साथ दुष्कर्म के आरोपी अभियुक्त को 40 वर्ष के कठोर कारावास व 1,20,000/- रूपये के अर्थदण्ड से किया दण्डित।**

**कार्यवाहीः–**

अवगत कराना है कि दिनांक 28.05.2023 को वादी ने थाना शेरकोट पर तहरीर दी कि शादी समारोह से अज्ञात अभियुक्त, वादी की बेटी व वादी के साले की बेटी को जंगल में ले गया तथा उनके साथ गलत काम किया गया। इस संबंध में थाना शेरकोट पर मु0अ0स0 121/23 धारा 376एबी/323/363 भादवि व 5m/6 पॉक्सो अधिनियम पंजीकृत किया गया। विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान अभियुक्त मनोज कुमार पुत्र मनिराम उर्फ मुन्नू निवासी ग्राम बाजिदपुर थाना शेरकोट जनपद बिजनौर का नाम प्रकाश में आया। विवेचना उपरांत पुलिस द्वारा आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया।

इस अभियोग में स्थानीय पुलिस एवं मॉनिटरिंग सैल द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी की गयी एवं अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई, जिसके परिणामस्वरुप आज दिनांक 17.09.2024 को मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, पॉक्सो एक्ट, जनपद बिजनौर द्वारा मु0अ0सं0 121/23 के आरोपी अभियुक्त मनोज कुमार पुत्र मनिराम उर्फ मुन्नू निवासी ग्राम बाजिदपुर थाना शेरकोट जनपद बिजनौर उपरोक्त को 40 वर्ष के कठोर कारावास व 1,20,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड की राशि एक लाख बीस हजार रुपये में से पचास हजार रुपये पीडिता को प्रतिकर के रुप में देय होंगे।

उक्त अभियोग श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान **“ऑपरेशन कन्विक्शन”** के अन्तर्गत मा0 न्यायालय में सशक्त एवं प्रभावी पैरवी कर अपराधियों को अधिकाधिक सजा दिलाये जाने हेतु चिन्हित अभियोगों में सम्मिलित था।

**दोषसिद्ध अभियुक्त का नाम पताः-**

1- मनोज कुमार पुत्र मनिराम उर्फ मुन्नू निवासी ग्राम बाजिदपुर थाना शेरकोट जनपद बिजनौर।